न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
16/22	24.01.2022	14.02.2022

उनवान

1. ज्योति पत्नि बाबूलाल जाति जाटव निवासी दोहडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास ,लैण्ड होल्डर , किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

उपस्थितिः–

1. श्री सुभाषचन्द वकील वादी की और से
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार ।

–: निर्णय :–

वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः–
वकील वादीया ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 0.67 हे., 80 रकबा 0.23 हे. वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर है जो वाद मे विवादित आराजी है जिस पर मिन वादीया शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रही है मौके पर मिन वादीया का कब्जा काश्त है ।

राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदारान मिन वादीया के ग्राम के निवासी है जिनका आराजी उक्त पर कभी काश्त नही रहा है ना ही वर्तमान मे है मिन वादीया ही आराजी उक्त पर काबिज काश्त है इसलिए वाद मे आवश्यक पक्षकार नही बनाया गया है। आराजी उक्त पर मिन वादीया का कब्जा काश्त है इसलिए राज्य सरकार द्वारा परिपत्र राजस्व ग्रुप–10 /पुर्नवास के परिपत्र कमाक फा.प(15)राज–पुर्नवास /2009 जयपुर दिनांक 30.3.2012 के बिन्दु सख्या 5 के अनुसार मौके पर मौखिक खरीद के आधार आराजी उक्त पर बिना किसी विकय पत्र/ इकरारनामा के आधार पर काबिज काश्त है इसलिए अपना कब्जा वादीया सिद्व कराकर राज्य सरकार के उक्त परिपत्र के अनुसार कब्जा काश्त सिद्व करा परिपत्र के बिन्दु सख्या 3 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा करा खातेदारी हकूक प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः वाद वादीया निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावेः–
अ– वाद वादीया बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादीया आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 0.67 हे0, 80 रकबा 0.23 हे. वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जावे। तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर हकूक खातेदारी प्रदान करने की कृपा करे।
ब– दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वाद का अवलोकन किया। वादीया द्वारा आराजी उक्त की खातेदारी हेतु राज्य सरकार के परिपत्र कमाक फा.प(15)राज–पुर्नवास /2009 जयपुर

दिनांक 30.3.2012 के बिन्दु सख्या 5 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर हकूक खातेदारी हेतु निवेदन किया है।

वकील वादीया ने साक्ष्य के रूप मे शपथ पत्र गवाहान पी.डब्ल्यु 1 ज्योति वादीया , पी.डब्ल्यु 2 शेरखां पुत्र मल्लू , पी.डब्ल्यु 3 रम्भू पुत्र मल्लू , पी.डब्ल्यु 4 अमृतलाल पुत्र कादूंला पेश किये । जो शामिल मिसल किये गये।

शपथ पत्र गवाहान 1 :– पी.डब्ल्यू 1 दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2035 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2043 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2051 प्रदश 3, नकल जमाबन्दी सन 2003 प्रदर्श 4, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 प्रदश 5, नकल जमाबन्दी सम्वत 2029 प्रदर्श 6, नकल जमाबन्दी सम्वत 2011 प्रदर्श 7, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2030–33 प्रदर्श 8, नकल जमाबन्दी हाल 2075–78 प्रदर्श 9 पेश किये। तथा वर्णित किया है कि आराजी उक्त पर मिन वादीया का कब्जा काश्त है मौके पर सरसो की फसल काश्त है

शपथ पत्र गवाहान 2 एवं 3:– पी.डब्ल्यु 2 शेरखा पुत्र मल्लू एवं पी.डब्ल्यु 3 रम्भू पुत्र मल्लू जाति मेव निवासी घासोली है जिनके द्वारा वर्णित किया गया है हमारे दादा / पिताजी आराजी उक्त पर शिकमी /उपकृषक दर्ज राजस्व रिकार्ड रहे है और वर्तमान मे भी काश्त का अंकन हमारे पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चला आ रहा है आराजी उक्त पर हमारे सामने वादीया ही मौके पर काबिज काश्त है हमारे निवास स्थान एवं खेती आराजी उक्त के आसपास ही स्थित है मौके पर वादीया द्वारा कब्जा है विवादित आराजी से राजस्व रिकार्ड के गैर खातेदारान का कभी कोई कब्जा नही रहा है ना ही वर्तमान है इसलिए आराजी उक्त से राजस्व रिकार्ड के गैरखातेदारान का कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है। परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के बिन्दु सख्या 5 के हकूक खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी है ।

शपथ पत्र गवाहान 4:– पी.डब्ल्यू 4 गवाहान अमृतलाल पुत्र कांटूलाराम निवासी दोहडा है जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदार के ग्राम का निवासी है जिसके द्वारा अपने शपथपत्र मे वादीया का ही मौके पर कब्जा काश्त होना वर्णित किया है राजस्व रिकार्ड के गैर खातेदारान का आराजी उक्त पर कभी कोई कब्जा काश्त नही है ना ही वर्तमान मे है इसलिए आराजी उक्त से गैर खातेदारान को कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है। परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के बिन्दु सख्या 5 के हकूक खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी है।

हमने वकील वादीया एवं पैरोकार सरकार की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। वकील वादीया ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादीया को डिक्री किये जाने की इश्तदुआ की। तथा प्राप्त पटवारी हल्का मौका कब्जा काश्त रिपोर्ट दिनांक 08.04.2022 के अनुसार मौके पर वादीया का कब्जा काश्त है तथा आराजी उक्त पर सरसो की फसल काश्त की हुई है मौके पर वादीया का कब्जा काश्त है इसलिए राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा करा हकूक खातेदारी प्रदत्त किये जाने निवेदन किया । तथा पैरोकार सरकार द्वारा भी वादीया का पटवारी हल्का मौका कब्जा कब्जा काश्त के आधार पर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एंव शास्ती जमा कराने पर वादीया को हकूक खातेदारी प्रदत्त करने मे कोई राजहीत प्रभावित नही होना बताया है ।

हमने वकील वादीया की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत 2035 है जिसमे परमा पुत्र कान्हा वैगरा बकाश्त मल्लू पुत्र छोटेखां जाति मेव निवासी घासोली शिकमी दर्ज राजस्व रिकार्ड है मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 01 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 01 रकबा 0–19 बिस्वा , 02 रकबा 1 –00 बीघा , 21 मिन रकबा 0–14 बिस्वा पैमूद हुए है तथा हाल खसरा नम्बर 80 रकबा 0–18 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 22 मिन रकबा 0–15 बिस्वा पैमूद हुआ है प्रदर्श 8 खसरा गिरदावरी सम्वत 2030–33 मे काश्त मल्लू दर्ज रिकार्ड है वाद मे प्रस्तुत गवाहान पी.डब्ल्यू 2 एवं 3 जो मल्लू के विधिक वारिस है जिनके द्वारा भी स्वीकार किया है आराजी उक्त पर वादीया

का ही मौके पर कब्जा काश्त है तथा गवाह पी.डब्ल्यू 4 द्वारा द्वारा आराजी उक्त पर वादीया का ही कब्जा काश्त होना बताया है जिसके ताईद मे तलब पटवारी हल्का कब्जा काश्त रिपोर्ट दिनांक 08.02.2022 के अनुसार मौके पर वादीया का कब्जा काश्त है मौके पर सरसो की फसल काश्त की हुई है। जिससे यह साबित होता है वादीया का आराजी उक्त खसरा नम्बर 01 रकबा 0.67 हे. एवं 80 रकबा 0.23 हे. वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास पर कब्जा काश्त है सरसो की फसल काश्त की हुई है राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदारान का आराजी उक्त से कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है ना ही कभी कब्जा रहा है इसलिए हम राज्य सरकार के परिपत्र कमाक फा. प(15)राज–पुर्नवास /2009 जयपुर दिनांक 30.3.2012 के बिन्दु सख्या 5 के अनुसार प्राप्त कब्जा काश्त रिपोर्ट एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वादीया का कब्जा बाखूबी सिद्व होने के कारण नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा करा हकूक खातेदारी वादीया को प्रदत्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है न्याय एवं विधि का सिद्वान्त भी यही है वाद वादीया काबिले डिकी करार पाता है।

अतः आदेश है:–

वाद वादीया बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादीया को आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 0.67 है. 80 रकबा 0.23 हे. वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास को काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाता है वादीया आराजी उक्त राज्य सरकार के परिपत्र कमाक फा.प(15)राज–पुर्नवास /2009 जयपुर दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर जर्ये सनद खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने के आदेश दिये जाते है राशि जर्ये चालान होकर सनद खातेदारी जारी हो। तथा हाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज समस्त गैर खातेदारान एवं उस पर अंकित समस्त अंकन को कलमजन किया जाकर वादीया को मुताबिक सनद राजस्व रिकार्ड मे खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो। पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा वादीया स्वयं वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.
अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न. 16/22

प्रवेश तिथि 24.01.2022

निर्णय तिथि 14.02.2022

पर्चाडिक्री

उनवान

1. ज्योति पत्नि बाबूलाल जाति जाटव निवासी दोहडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास ,लैण्ड होल्डर , किशनगढबा जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

उपस्थितिः–

1. श्री सुभाषचन्द वकील वादी की और से
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार ।

वाद वादीया बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादीया को आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 0.67 है. 80 रकबा 0.23 हे. वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास को काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाता है वादीया आराजी उक्त राज्य सरकार के परिपत्र क्रमाक फा.प(15)राज–पुर्नवास /2009 जयपुर दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर जर्ये सनद खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने के आदेश दिये जाते है राशि जर्ये चालान होकर सनद खातेदारी जारी हो। तथा हाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज समस्त गैर खातेदारान एवं उस पर अंकित समस्त अंकन को कलमजन किया जाकर वादीया को मुताबिक सनद राजस्व रिकार्ड मे खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

प्रारूप सख्या
(देखिये नियम 15(3))
सनद का प्रारूप

चूंकी राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू. आवंटन नियम 1970 तथा आवंटन आदेश मे वर्णित शर्तो एवं राजस्थान निष्कान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन नियम 1963 के संशोधित (राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 06.10.2009 के संशोधित परिपत्र दिनांक 30.3.2012) के अधीन/नियमन की गई भूमि की खातेदारी सनद निम्न प्रकार से जारी की जाती है।

1. आवंटन एवं नियमन का दिनांक एवं स्थान	जर्ये वाद ज्योति बनाम बनाम सरकार , मु.न. 16/2022 निर्णय दिनांक 14.02.2022
2. खातेदार का नाम व पूर्ण पता	ज्योति पत्नि बाबूलाल जाति जाटव निवासी दोहडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर
3. तहसील व जिला	तहसील किशनगढबास जिला अलवर
4. राजस्व ग्राम जहा भूमि स्थित है।	ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर
5. भूमि का क्षेत्रफल मय खसरा नम्बर मय किस्म	आराजी खसरा 01 रकबा 0.67 हे., 80 रकबा 0.23 हे. कुल किता 2 रकबा 0.90 हे. वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास किस्म खातानुसार
6. लगान दर	खातानुसार
7. भूमि किमत का ब्योरा मय ब्याज जो जमा की गई। मय राशि जमा होने का चालान नम्बर व दिनांक	जी.आर.एन. 58786240 से राशि 7200 रू.(सात हजार दो सौ रूपये मात्र) मद सख्या 0075 जी.आर.एन. 58786393 से राशि 3600 रू.(तीन हजार छःसौ रूपये मात्र) मद सख्या 0049

नोटः– यह सनद राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त खसरा नम्बरान पर दर्ज समस्त गैर खातेदारान एवं उस पर अंकित समस्त अंकन को कलमजन किया जाकर जारी की गई।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

कमाक/सम/2021/1694-97

दिनांक :– 16/02/22

प्रतिलिपिः–

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. तहसीलदार किशनगढबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थीगण का सनद अनुसार खातेदारी नामान्तकरण दर्ज कर नामान्तकरण प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।
2. पटवारी हल्का को पालनार्थ।
3. प्रार्थीया ज्योति पत्नि बाबूलाल जाति जाटव निवासी दोहडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज
4. रक्षित पत्रावली

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)